न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 159 / 2015

उनवान

1. श्री रामपाल पिता गंगाराम हरिजन निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा मृतक के बजाय–
   1 / 1–श्रीमती पानी देवी पत्नि स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 2–श्री विष्णुकुमार पिता स्व0रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 3–श्री कैलाशचन्द्र पिता स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 4–श्री प्रकाश पिता स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   तहसील माण्डल एवं जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता मदनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती सीमा देवी पत्नि रोशनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल
3. श्री राकेश पिता मदनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रकरण संख्या
204 / 2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.07.2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री अब्दुल रशीद पठान , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री राकेश सेन अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 27.09.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी रामपाल ने अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व, आधिपत्य एवं खातेदारी अधिकार की आराजी वाके ग्राम बलाईखेड़ा पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में आराजी नम्बर 3301 रकबा 02 बीघा 08 बिस्वा, आ0नं0 3302 रकबा 07 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है।

2. यह कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 03 वादी से नाजायज रंजिश रखते हैं तथा वादी की उक्त आराजी को जबरन हड़पने की गरज से वादी की आराजी के उपयोग व उपभोग में बाधा एवं रूकावट पैदा करते हैं तथा आये दिन वादी के साथ लड़ाई झगड़ा कर गाली गलोच करते रहते हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 दिनांक 30.07.2011 को मौके पर आये और अनाधिकृत रूप से वादी की आराजी में प्रवेश कर आराजी की हंकाई करके नुकसान पहूंचा दिया तथा आ0नं0 3301 के मध्य में जे.सी.बी. मशीन से डोल डाल दिया तथा पूर्व दिशा में स्थित करीब 70 हरे वृक्ष बंबूल एवं खेजड़ी को चोरी की नियत से जड़ से उखाड़ दिए तथा थोर की बाड़ काट दिया मना करने पर वादी एवं उसकी पत्नि को जातिगत गालियां दी जबरन वादी को बेदखल करने की धमकी दी। अतः प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि उक्त आराजीयात के वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें तथा वादी को जबरन बेदखल नहीं करे न अन्य से करावें तथा वादी को उक्त आराजीयात का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें। यदि दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 जबरन वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा वादी को दिलाये

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा (राज.)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध सादित फरमायी जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र जरिये राजीनामा स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. बहस में वकील अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण ग्राम बलाई खेड़ा की आ0नं0 3301 व 3302 कुल कीता 2 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने एवं जबरन वादी को प्रतिवादीगण आराजीयात से बेदखल कर देवे तो कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प माण्डल पर पत्रावली में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करते हुए वादवर्णित आराजी पर वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है का अंकन किया परन्तु इसके पश्चात **''सर्वेटीम तहसीलदार गठित कर भूमि की जानकारी देने का भी आदेश अंकित किया''** जबकि वादी के द्वारा पेश वाद में ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा। अतः उक्त अतिरिक्त कथन जो आदेश में अंकित किया है उसे हटाए जाने की प्रार्थना की है।

6. रेस्पोडेन्टगण के अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजीनामा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर वाद स्वीकार किया जो उचित होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वादपत्र एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण ग्राम बलाई खेड़ा की आ0नं0 3301 व 3302 कुल कीता 2 कुल रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा पर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने एवं जबरन वादी को प्रतिवादीगण आराजीयात से बेदखल कर देवे तो कब्जा दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प माण्डल पर पत्रावली में राजीनामा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करते हुए वादवर्णित आराजी पर वादी के कब्जे में प्रतिवादीगण को हस्तक्षेप नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है का अंकन किया परन्तु इसके पश्चात **"सर्वेटीम तहसीलदार गठित कर भूमि की जानकारी देने का भी आदेश अंकित किया"** जबकि वादी के द्वारा पेश वाद में ऐसा कोई अनुतोष नहीं चाहा। उक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 में खाता संख्या 137 ग्राम बलाईखेड़ा की आ0नं03301 रकबा 2 बीघा 08 बिस्वा व आ0नं0 3302 रकबा 07 बिस्वा कुल कीता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामपाल पिता गंगाराम हरिजन सा0 माण्डल खातेदार दर्ज होना स्पष्ट है। तथा खाता संख्या 221 में आ0नं0 9761/3301 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 रोशनलाल पिता मदनलाल , सीमादेवी पत्नि रोशनलाल सेन सा0 माण्डल गैरखातेदार दर्ज है। नक्शे में प्रतिवादीगण की आराजी नं0 9761/3301 वादी/अपीलार्थीगण की आराजी के उत्तर में स्थित है। प्रकरण का निस्तारण राजस्व लोक अदालत कैम्प माण्डल में दिनांक 13.07.2015 को प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादपत्र स्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्रावली में संलग्न राजीनामा के अवलोकन से जाहिर आया कि उक्त राजीनामा पर अपीलार्थी/वादी रामपाल के कोई हस्ताक्षर नहीं है राजीनामा केवल प्रत्यर्थी /प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा ही प्रस्तुत किया जो राजीनामा की श्रेणी में नही माना जा सकता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.01.2014 को वास्ते जवाब नियत होकर आगामी तारीख 23.05.2014 नियत की गई। दिनांक 23.05.2014 एवं 08.08.2014 को अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी तारीख 17.10.2014 नियत की गई। दिनांक 17.10.2014 को पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण हो जाने से आगामी तारीख 23.01.2015 नियत की गई। दिनांक 23.01.2015 को पीठासीन अधिकारी के चुनाव कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख 15. 05.2015 नियत की गई। इस प्रकार प्रकरण जवाब में नियत था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 18.10.2012 में टंकित किया हुआ पत्रावली में संलग्न है परन्तु उक्त जवाब को पत्रावली में शामिल पत्रावली किए जाने का कोई मार्क पीठासीन अधिकारी से नहीं है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 13.07.2015 को सीधे ही कोर्ट कैम्प माण्डल पर प्रस्तुत की जबकि न तो कोर्ट कैम्प की सूचना के पक्षकारान को नोटिस जारी होना सिद्ध होता है एवं न ही दिनांक 15.05.2015 की कोई आगामी आदेशिका संधारित होना प्रतीत होता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संधारित आदेशिका दिनांक 13.07.2015 में अंकित है कि वादीगण ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसे स्वीकार किया जाता है जो गलत है क्योंकि राजीनामा प्रत्यर्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा प्रस्तुत किया है इसे वादी ने कभी स्वीकार नहीं किया है। स्वीकारोक्ति के वादी के राजीनामें पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार राजीनामा ही

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपूर्ण(defective) होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद सशर्त निर्णित किया जिसे विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

8. यह सही है कि वादी को वादपत्र स्वयं को साबित करना है। अतएव यदि वादी वादपत्र के समुचित साक्ष्य सबूतों से साबित नहीं कर पाता है तो विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वादवादपत्र को समुचित प्रक्रिया अपना कर निर्णित किया जाना ही उचित कहा जा सकता है, परन्तु विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत एक पक्षीय राजीनामें को आधार बनाकर सशर्त आदेश पारित किया है। वाद पत्र से स्पष्ट है कि वादी खातेदार रामपाल कुल कीता 2 कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा में भूमि के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा एवं रूकावट प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 द्वारा पैदा नहीं करने, वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देने व जबरन वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं करने एवं न ही किसी अन्य से कराने बाबत अनुतोष चाहा है। दौराने वाद प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 जबरन वादी को उक्त आराजीयात से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा के कब्जा वादी को दिलाए जाने की डिक्री वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के विरूद्ध सादिर फरमाई जाने की प्रार्थना की। इस बाबत स्थाई निषेधाज्ञा व आदेशात्मक आज्ञा को वादी द्वारा साबित किए जाने के उपरान्त ही वादी के पक्ष में कोई निर्णय पारित किया जा सकता था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण राजीनामें के आधार पर वादी को सुने बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जिसमें अपूर्ण राजीनामें के अनुसार सर्वे टीम से सर्वे कराने बाबत आदेश जारी किया है, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2015 के क्रम में अपील अपीलार्थी स्वीकार करते हुए प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2015 को खारिज किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाब आदि रिकॉर्ड पर लेकर, वादबिन्दु कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

10. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

27/9/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए / 159 / 2015

उनवान

1. श्री रामपाल पिता गंगाराम हरिजन निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा मृतक के बजाय–
   1 / 1–श्रीमती पानी देवी पत्नि स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 2–श्री विष्णुकुमार पिता स्व0रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 3–श्री कैलाशचन्द्र पिता स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   1 / 4–श्री प्रकाश पिता स्व0 रामपाल हरिजन निवासी माण्डल
   तहसील माण्डल एवं जिला भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण

बनाम

1. श्री रोशनलाल पिता मदनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमती सीमा देवी पत्नि रोशनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल
3. श्री राकेश पिता मदनलाल सेन निवासी माण्डल त0माण्डल
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार माण्डल जिला भीलवाड़ा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी माण्डल के प्रकरण संख्या
204 / 2011 निर्णय एवं डिकी दिनांक 13.07.2015

अपील में डिकी

(आदेष 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 159 / 2015** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित ड्रिकी जारी की जाती हैं:

यह अपील तारीख 27.09..2019 को अपीलाण्ट्स की ओर से श्री अब्दुल रशीद पठान एवं प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 3 के वकील श्री राकेश सेन व प्रत्यर्थी संख्या 4 की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 27.09..2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.07.2015 को खारिज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9 TA / 159 / 2015 रामपाल बनाम रोशनलाल

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 27.09..2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

27/9/19

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस